## भविष्य निधि खाते से जीवन बीमा पॉलिसी के वित्त पोषण हेतु आवेदन

सेवा में,	
	आयुक्त,
	कर्मचारी भविष्य निधि,
	मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी का
	(नाम बड़े अक्षरों में) (स्थापना का नाम)
कर्मचारी,	कोड संख्या आयुक्त को निम्निलिखित के लिए प्राधिकृत करता/करती हूं कि वे;
I.	मेरे भविष्य निधि खाता संख्या से रू (रूपये) की राशि का प्रत्याहरण करके उसे मेरी जीवन बीमा पॉलिसी/जीवन बीमा प्रस्ताव के आरंभिक प्रीमियम के तौर पर भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित करें जिसका विवरण नीचे दिया गया है;
II.	मेरे भविष्य निधि खाता संख्या से जब भी प्रीमियम भुगतान देय हो रू(रूपये) का आवधिक प्रत्याहरण करके उसे मेरी जीवन बीमा पॉलिसी के संदर्भ में प्रीमियम के तौर पर भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित करें जिसका विवरण नीचे दिया गया है, जिससे कि ये ऐसे भुगतानों के लिए निर्धारित समय के भीतर निगम के पास पहुँच जाये।
iii.	उक्त बीमा पॉलिसी को पेड अप में बदल दें यदि मेरे भविष्य निधि खाते में मेरे अंशदान से संबंधित क्रेडिट, प्रीमियम के भुगतान के लिए अपर्याप्त हो जाए, जब तक कि भारतीय जीवन बीमा को देय प्रीमियम का प्रबंध मेरे द्वारा नहीं कर लिया जाता और मैं तदनुसार क्षेत्रीय आयुक्त को सूचित नहीं करता/करती ।
iv.	मेरे भविष्य निधि खाते में मेरे अंशदान से विलंब शुल्क एवं/अथवा ब्याज का भुगतान करें यदि उक्त निगम को कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड को जारी की गई पॉलिसी के संबंध में आयुक्त को भेजने में किसी कारणवश हुए विलंब अथवा अन्य किसी कारण जिसके लिए मैं अथवा मेरे नियोक्ता उत्तरदायी होंगे, से उक्त निगम को समय पर प्रीमियम का भुगतान नहीं हो सका ।
2.	मैं स्वीकार करता/करती हूं कि :
Ĺ.	पैरा 1 (II) में किया गया प्रमाणीकरण केवल तभी प्रभावी होगा जब केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि को भली भांति जारी की गई मेरी जीवन बीमा पॉलिसी उक्त निगम के खातों में उचित पंजीकरण के पश्चात् आयुक्त द्वारा प्राप्त कर ली जाएगी ।
ii.	उक्त प्रमाणीकरण, इसके पश्चात उस समय तक प्रभावी रहेगा जब तक मैं भविष्य निधि का/की सदस्य रहूं और निधि में मेरे भाग के अनुसार मेरे खाते में पर्याप्त राशि रहे अथवा पॉलिसी की परिपक्वता अवधि पूर्ण हो जाए इनमें से जो भी पहले हो;
III.	क्षेत्रीय आयुक्त की लिखित सहमति के बिना पॉलिसी की शर्तों में न तो कोई परिवर्तन किया जाएगा और न ही पॉलिसी को किसी अन्य पॉलिसी से बदला जाएगा ।
3.	पॉलिसी निरीक्षण के लिए संलग्न हैं/ जब प्राप्त होगी अग्रेषित कर दी जाएगी / पहले ही केन्द्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि को जारी की जा चुकी है और आयुक्त द्वारा उनके पत्र संख्या दिनांक द्वारा स्वीकार की जा चुकी है ।
4.	मुझे मालूम है कि पॉलिसी उक्त निगम को निधि प्रेषण की तिथि से छ: माह के भीतर धरोहर के रूप में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि को जारी की जाएगी और उक्त निगम के खातों में पंजीकरण के पश्चात् मेरे द्वारा उसे आयुक्त को भेज दिया जाएगा ।

### में घोषणा करता हूं कि:

- (क) मैं दो वर्ष से अधिक अवधि से निधि का सदस्य हूं जो निधि से बीमा पॉलिसी के वित्तपोषण हेत् पात्रता के लिए न्यूनतम अवधि है।
- (ख) मेरे भविष्य निधि खाते में (मेरा स्वयं का अंश) दिनांक .....को ₹.....को ₹....को विमा निगम को दो वर्ष तक भगतान करने के लिए पर्याप्त है।
- (ग) निधि में मेरा वार्षिक अंशदान ......₹ है जो मेरे वार्षिक प्रिमियम का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है।
- (घ) मैं भविष्य निधि के लिए नामित व्यक्ति को ही नामित करना प्रस्तावित करता हूं।
- 6. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि पॉलिसी किसी भी प्रकार के ऋणभार से मुक्त है तथा यहां दिया गया प्रस्ताव/पॉलिसी का विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

### पॉलिसी/प्रस्ताव का विवरण

- (i) जीवन बीमा निगम की इकाई अथवा शाखा कार्यालय का पता जहां पॉलिसी खाते का रख-रखाव किया जा रहा है/किया जाएगा।
- (ii) पॉलिसी/प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक
- (iii) बीमित राशि/प्रस्तावित बीमित राशि।
- (iv) पॉलिसी खरीदने की संभावित तिथि।
- (v) क्या प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है यदि हां, तो किस तिथि तक प्रमियम का भुगतान किया जाना है।
- (vi) पॉलिसी की लागत (एकल भुगतान पॉलिसी के मामले में)
- (vii) वार्षिक प्रीमियम की राशि
- (viii) प्रीमियम भ्गतान की तिथि (या)
- (ix) अंतिम प्रीमियम के भुगतान की तिथि
- (x) क्या आयु दर्ज की गई है। यदि नहीं तो जीवन बीमा निगम को प्रस्तुत किए गए प्रमाण की प्रकृति।
- (xi) बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामिती (नामितियों) के नाम
- (xii) नाबालिंग नामिती के संबंध में बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नियुक्त अभिभावक।
- (xiii) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड को पहले ही सौंपी गई किसी पूर्व पॉलिसी का विवरण अथवा
- (xiv) "प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अपने भविष्य निधि खाते से किसी भी बीमा पॉलिसी के वित्त पोषण के लिए कोई धनराशि की निकासी नहीं की है।
- (xv) अभ्युक्ति

सदस्य के हस्ताक्षर अथवा बाएं/दायं हाथ के अंगूठे का निशान

"THE PART OF THE P	"प्रमाणित किया जाता है कि इस फॉर्म पर मेरे सामने में कार्यरत में कार्यरत		ਜ
प्रमाणित किया प	intil 6 141 Av. mer iv av.	(स्थापना का नाम)	(सदस्य का नाम)
खाता सं द्वारा	हस्ताक्षर किए गए / अंगूठा लगाया ग	ाया ।	
			क्रमा के समाधा
		नियोक्ता अथवा उसके द्वारा प्राधि	किंप आधकारा क हस्ताबर
		पदनाम	
		स्थापना की कोड संख्या	
		स्थापना का नाम एवं पता तथा	माहर
	(क्षेत्रीय आयुक्त के कार्याल		
	लेखा अनुभा		
पिछले 12 महीनों के आधार	कुल अंशदान	क्या पहले कोई जीवन बीमा	क्या अंशदाता ने
पर वार्षिक अंशदान	(केवल कर्मचारी का भाग)	पॉलिसी अग्रिम स्वीकृत किया	दो वर्ष तक
(केवल कर्मचारी का भाग)	तक	गया है; यदि हां, तो प्रत्याहरण	अंशदान किया है।
		की तिथि का उल्लेख करें	
क्लर्क [बीमा]	हैड क्लर्क [बीमा]	क्लर्क [ले./अ.]	हैड क्लर्क [ले./अ.]
	की जांच क.भ.नि.यो., 1952 के पैरा 6	2 से 64 के अनुसार की गई	······································
की राशि का भुगतान किया जा स	कता है ।		
	हैड क्लर्क	ले./अधि./स.आ.	क्षे.आ.
क्लर्क	<u> १५ पलपा</u>	(1,/31/4,/131)	
लेखा अनुभाग :- (ग्रुप सं.) संबंधि	त अंशदाता के लेजर	संबंधित अंशदाता के लेजर	कार्ड में
कार्ड में उपर्युक्त राशि की प्रविष्टि		रू. की राशि प्रविष्ट की त	था बीमा अनुभाग को वापस
अनुभाग को तत्काल वापस भेजने		भेजी ।	
गया ।			
	बीमा अनु	भाग	
	डी.पी. शीट बनाई गई	तथा पी.आर.आई.सं	द्वारा चेक जारी करने
	के लिए रोकड़ अनुभाग	ग को भेजा गया ।	
क्लर्क (बीमा)	हैड क्लर्क	र (बीमा)	<u>स.आ. (बीमा)</u>

# APPLICATION FOR FINANANCING A LIFE INSURANCE POLICY OUT OF THE PROVIDENT FUND ACCOUNT

To,	The second secon
	The Commissioner, and the factor of the Employee's Provident Fund,
	The second section and the second of the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the section is the second section in the section is the second section in the section is the section in the section in the section in the section is the section in the section is the section in the section in the section is the section in the section is the section in the section in the section is the section
	S/d/W ofan
	( Name in block letters )
emplo	yee ofauthorise
the C	( Name of establishment )
	regulational and have been an experienced and the street and processes were an
(1)	from my Provident Fund account No
	Life Insurance Corporation of India towards the Initial premium in respect of my life
	insurance policy/proposal for life insurance details of Which are given herein;
( ii )	make periodical withdrawal of Rs(Rupees(Rupees
	from my Provident Fund account Noeach time the premium falls due for payment and remit the same to the Life Insurance Corporation of India towards the
	premia in respect of my life insurance policy, details of which are given herein, so as
	to reach the said Corporation within the time allowed for such payments;
(111)	to convert the said insurance policy into a paid up one when the credit in my Provident
	Fund relating to my own contribution becomes inadequate for the payment of any
	premium, unless the payment of further premium is arranged by me with the Life Insurance Corporation of India and I inform the Regional Commissioner accordingly.
(iv)	To pay late fees and/or interest of my own contribution in my Provident Fund account
( ,, )	if any premium cannot be remitted to the said Corporation in time because of delay in
	sending to the Commissioner the policy duly assigned to the Central Board of Trustees
	of the Employee's Provident Fund or any other reason for which I or my employer may be responsible.
	2. I accept that:
	2. I accept that:
( i )	the authorisation para I (II) above shall be effective only when my life insurance policy duly assigned to the Central Board of Trustees, Employees Provident Fund has
	been received by the Commissioner after proper registration of the assignment in the
	books of the said Corporation;
(II)	the said authorisation shall thereafter remain operative till such time as I continue to
	be member of the Fund and have enough account a tihn to my credit as my own share
	in the fund or till the maturity of the policy, whichever is earlier;
( !!! )	the terms of the policy shall not be altered nor shall the policy be exchanged for another policy without the prior written consent of the regional commissioner.
3. Th	policy is enclosed for inspection/will be forwarded when received has already
	ten assigned to the Central Board of Trustees of the Employees Provident Fund
	d accepted by the Commissioner vide his Letter No
	am aware that the policy is to be assigned to the Central Board of Trustees of the mployees' Provident Fund as security within six months of the date of the lis tremittance
	y the Fund to the sald Corporation and I sent to the Commissioner after regissration of
th	ne assignment in the books of the sald Corporation.

### 5. I declare that

- (a) I have been a member of the Fund for a period of not less than two years which is the minimum period for being eligible for financing the insurance policy from the Fund
- (c) My annual contribution to the Fund is Rs .... ... which is sufficient to pay my yearly premia;
- (d) I propose to nominate the same person as for the P. F.
- 6. I also declare that the policy is free from any encumberances and the details of the policy prorosal given herein are correct to the best of my knowledge.

### details of the\* Policy/proposals

- (1) Address of the branch office or unit of the Life Insurance Corporation where the policy account \* is/is to-be maintained
- (Ii) Policy/Proposal No and date
- (iii) Sum assured/proposed to be assured.
- (iv) Probable date of purchase of the policy.
- (v) Whether the proposal has been accepted and if so, by what date the first premium is to paid,
- (vi) Cost of the policy (In the case of single payment policies)
- (vii) Amount of yearly premia.
- (viii) Due date (s) for payment of premium.
- (ix) Date of payment of last premium.
- (x) Whether age hes been admitted. If not state the nature of proof presented to Life Insurance Corporation.
- (xi) Name (s) of the nominee (s) under section 39 of the Insurance Act, 1938
- (xii) Guardian appointed under section 39 of the Insurance Act, 1938 in respect of minor nominee's, if any.
- (xiii) Details of any previous policy already assigned to the C B. T.

or

"Certified that I have not withdrawn any amount previously for finacing any insurance policy out of my Provident Fund account."

(xlv) Remarks

"Certified that this form	has been signed/thumb impre	essed before me				
byAccount No	oemployed in	(name of estt)				
	Cionatura of the ampleus					
Date	Signature of the employer official.	or his authorised				
	Designation					
	Code No. of the establishm	ient.				
	Name and address of the and its stamp.	e establishment				
	gional Commissioner's Office)					
Yearly contribution Total co (employee's share only) (emplo	ontributions Whether any oth	as subscriber has ore; contributed fo the two years.				
Clerk [Ins.] H. C [Ins.] Clerk [A/S] H. C. [A/S]						
The above case has been examined vide paras 62 to 64 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952. A sum of Rs						
Clerk Head Cler	rk A.O./A.C.	R. C.				
Accounts Section:— (Group No Forwarded for posting of he about amount in the ledger card of the subscriber concerned and imm	ove in the ledger c	Rs				
diate return to this Section.		ed and returned				
diate return to this Section.		ed and returned				
diate return to this Section.	to Ins. Section.  RANCE SECTION	ed and returned				
diate return to this Section.  INSU  D. P. sheet	to Ins. Section.	ed and returned				
D. P. sheet P.R I. No.	RANCE SECTION  prepared and forwarded to comment of the comment of	ed and returned				